पत्रांक- 3ए-3-भत्ता-01/2017- 8043 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- 11/10/2017

विषय:- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के विभिन्न भत्तों के वर्त्तमान दरों में संशोधन के संबंध में। मद सं०-'C' (चिकित्सा भत्ता)

केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया।

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24/05/2017 द्वारा दिनांक-01/01/16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है।

3. राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (Volume-II) के अध्याय-3 एवं 4 में राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए जाते है:-

(A) मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प सं०-12372, दिनांक- 31/12/2009 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।

(i) राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में मकान किराया भत्ता की वर्त्तमान दरों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:-

वर्ग	शहर का नाम	भत्ता का दर
I	II	III
Y	पटना (यू०ए०)	मूल वेतन का 16%
Z	अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगुसराय (यू०ए०), बेतिया, भागलपुर (यू०ए०), बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया (यू०ए०), गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार (यू०ए०), किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी	मूल वेतन का 8%

LID-8189
LID-11202

P.T.O.

	(यू०ए०), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियाँ (यू०ए०), सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी (यू०ए०), सीवान, सुपौल।	
अवर्गीकृत शहर	.....	मूल वेतन का 6%
ग्रामीण क्षेत्र	.....	मूल वेतन का 4%

(ii) बिहार भवन, नई दिल्ली के कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता की दर मूल वेतन का 24% होगा।

(B) शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प सं०-7040, दिनांक-29/07/2011 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए शहरी परिवहन भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।

(i) राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में शहरी परिवहन भत्ता की वर्त्तमान दरों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:-

क्रम सं०	वेतन स्तर	शहरी परिवहन भत्ता	
		(पटना यू०ए०)	अन्य नगर निगम
I	II	III	IV
1	वेतन स्तर-11 एवं अधिक	Rs. 4000+DA	Rs. 1500+DA
2	वेतन स्तर-7, 8 एवं 9	Rs. 3000+DA	Rs. 1000+DA
3	वेतन स्तर- 1 से 6	Rs. 1500+DA	Rs. 600+DA

(ii) बिहार भवन/बिहार निवास, नई दिल्ली के कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।

(iii) उप सचिव एवं इससे ऊपर के पदाधिकारियों को कार्यालय आने-जाने हेतु स्वयं की गाड़ी के प्रयोग हेतु पूर्व से अनुमान्य प्रतिमाह अधिकतम 40 लीटर ईंधन की सुविधा समाप्त की जाती है।

(C) चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प सं०-12357, दिनांक-31/12/2009 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए चिकित्सा भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को वर्त्तमान में प्रतिमाह रु० 200/- चिकित्सा भत्ता की दर को संशोधित कर **प्रतिमाह रु० 1000/- (एक हजार)** की दर से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अल्पाहार एवं भोजन के लिए निर्धारित राशि का वित्त विभागीय पत्रांक-3318, दिनांक-20/04/2009 के आलोक में नगद भुगतान (चालकों को छोड़कर) नहीं किया जायेगा

(ii) वैसे कर्मियों (यथा चालक) जिन्हें नियमित कार्यालय अवधि के अतिरिक्त अपने कार्यालय से बाहर सरकारी कार्यो का सम्पादन करना पड़ता है, उन्हें उक्त दर से नगद राशि का भुगतान किया जायगा।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8043**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8043**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदा०/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8043**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8043**/वि० पटना, दिनांक:-11/10/2017

प्रतिलिपि: अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/ श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग / वित्त विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं इससे उच्चतर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

3A/ HRA_7th\Anil